Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 5 ~ Issue 1 (2017) pp: 128-130
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में भर्ती व्यवस्था का विवेचन :

डॉ. भागीरथमल
व्याख्याता – लोकप्रषासन विभाग
राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर

सारांश :-

पंचायती राज संस्थाओं के कार्य संचालन में सेवाओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है । पंचायती राज संस्थाएं सामान्यतया नीतियों का निर्धारण और आवश्यकतानुसार निर्देशों का कार्य करती हैं किन्तु उनके कार्यान्वयन को सेवाओं पर छोड़ दिया जाता है। नीतियों एवं निर्देशों का सफल एवं प्रभावशाली क्रियान्वयन सेवाओं की गुणवत्ता एवं योग्यता पर निर्भर करता है। सेवाओं द्वारा कार्य संचालन से इन संस्थाओं को स्थायित्व प्राप्त होता है।[1] वस्तुतः किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा उन लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। जिनके द्वारा समाज को धीरे-धीरे आगे बढ़ना है। इस प्रक्रिया में सेवाओं की भी समान महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि उन्हीं के द्वारा इन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं कार्यान्वयन किया जाता है। प्रजातांत्रिक संस्थाओं में जन-प्रतिनिधि एक निर्धारित अवधि के पश्चात् बदल दिए जाते हैं किन्तु सेवाओं की स्थायी संरचना नीतियों के निष्पादन को निरन्तरता प्रदान करती है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में प्रसूत पंचायती राज की संस्थाओं में नीति निर्माता जन प्रतिनिधियों और उनके निष्पादन हेतु उत्तरदायी सेवाओं पर परस्पर सौहार्द से कार्य करने की एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है।"[2]

सादिक अली समिति ने यह माना था कि पंचायती राज की संस्थाओं की सेवाओं में भर्ती, नियुक्ति और सेवाओं का अनुशासनिक नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए उनका नियमन कतिपय स्वतंत्र सिद्धान्त द्वारा किया जाना चाहिए। समिति की राय में ये सिद्धान्त निम्नलिखित है[3] :-

1. सेवाओं की नियुक्ति की पद्धति में शीघ्रता, निष्पक्षता तथा सही चयन की संभावना निहित होनी चाहिए। विभिन्न पदों के लिए भर्ती करते समय उस कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिये। यह भी आवश्यक है कि भर्ती के लिए जो व्यवस्था है उसके प्रति लोगों में सामान्य विश्वास हो। समूचे राज्य में सेवाओं की शर्तों तथा योग्यताओं के बारे में भी एकरूपता की जानी चाहिए।
2. भर्ती, पदौन्नति तथा अनुशासनिक नियंत्रण के लिए व्यवस्था करते समय जो सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए वह है सेवाओं को राजनीतिक व स्थानीय प्रभाव से कैसे विलग और सुरिक्षत रखा जाये। सेवायें ऐसी स्थिति में नहीं पड़नी चाहिए जिससे वे स्थानीय दलों अथवा प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ अपना गठबंधन करना बहुत आवश्यक तथा लाभप्रद मानने लग जायें। इस प्रकार की स्थिति से सेवाओं में अकार्यकुशलता व्याप्त हो जाती है और उनका मनोबल गिरता है।
3. सेवाओं का अनुशासनिक नियंत्रण त्वरित एवं प्रभावशील होना चाहिए। नियंत्रण की दिशा और प्रक्रिया में किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए।

<u>पंचायती राज में सेवाओं की श्रेणियां / वर्गीकरण</u>

पंचायती राज में सेवाओं की दो श्रेणियाँ हैं :-

1. वे अधिकारी और कर्मचारी जो पंचायती राज संस्थओं में राज्य सरकार की ओर से प्रतिनियुक्ति पर हैं, और
2. वे सेवाएं जो पंयायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में श्रेणीबद्ध की गयी हैं। सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के वरिष्ठ कर्मचारी राज्य की नियमित लोक सेवा के सदस्य होते हैं और राज्य सरकार उन्हें इन संस्थाओं में कार्य करने के लिए नियुक्त / प्रतिनियुक्त करती है। इस प्रकार नियुक्त किये गये लोक सेवक और पदाधिकारी ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की इन इकाईयों में अपनी सेवा का कुछ काल बिताकर पुनः राज्य सरकार के अन्य विभागों में स्थानान्तरित कर दिये जाते हैं। उनके वापस बुला लिए जाने से पंचायती राज की इन संस्थाओं में जो स्थान रिक्त होता है उन्हें राज्य के अन्य लोक सेवाओं में से नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर दिया जाता है। इस प्रकार प्रथम श्रेणी की सेवाओं की भर्ती, पदौन्नति एवं नियंत्रण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में होता है। यद्यपि राज्य सरकार यह व्यवस्था करती है कि इन अधिकारियों का स्थानांतरण करते समय उन संस्थाओं के राजनीतिक मुखियाओं से सम्मति प्राप्त कर ले जहां वे नियुक्त हैं। इस तरह इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियन्त्रण की अन्तिम शक्ति राज्य सरकार में सन्निहित होती है। राज्य सरकार ही उन अधिकारियों को स्थानान्तरित, पदोन्नत अथवा पदावनत या दण्डित करने में सक्षम होती है। ऐसे अधिकारी या कर्मचारी पंयाचती राज की जिस संस्था में नियुक्त होते है वह संस्था उन पर केवल दैनिक नियन्त्रण ही रख पाती है।

प्रायः अधिकांश राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी राज्य सरकार की कार्मिक सेवा के सदस्य होते हैं और पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनियुक्त किये जाते हैं। राजस्थान एवं कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में तो तृतीय श्रेणी सेवा के कुछ वर्गों के कर्मचारी भी इन संस्थाओं में राज्य की सेवा से प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं। दूसरी ओर आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में दूसरी श्रेणी की सेवाओं में कार्मिकों का एक ऐसा वर्ग बनाया गया है जिनकी भर्ती, पदौन्नति एवं अनुशासनिक नियन्त्रण पंचायती राज संस्थाओं के अपने अधिकार क्षेत्र में है और जिला स्तर पर एवं राज्य स्तर पर उनका नियन्त्रण क्रमशः "जिला प्रतिस्थापन समिति" द्वारा होता है। राजस्थान में पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के लिए एक पृथक पंचायती राज सेवा स्थापना की गई है जो "राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा" कहलाती है।

राजस्थान में कार्मिकों को पंचायती राज की संस्थाओं के कार्यों के निष्पादन के लिए ही उत्तरदायी नहीं बनाया गया अपितु पूर्व में राजस्थान में प्रवर्तित राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियमों, 1959 के अंतर्गत इन संस्थाओं में सदस्यता भी कतिपय अधिकारीयों को प्रदान की गयी थी । उदाहरण के लिए जिले के जिलाधीश को जिला विकास अधिकारी के रूप में जिला परिषद् का पदेन सदस्य और खण्ड विकास अधिकारी को पंचायत समिति का सचिव बनाया गया था। यद्यपि उन्हें इन संस्थाओं में मताधिकार नहीं दिया गया था। अब राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में इस प्रकार के प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है।

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में प्रथम श्रेणी की सेवाओं के वे अधिकारी और कर्मचारी जो प्रायः राज्य सरकार की ओर से प्रतिनियुक्ति पर होते है उनमें प्रमुख तौर पर :

1. जिला परिषद के सचिव या मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
2. जिला परचिद के सहायक सचिव,
3. पंचायत समिति के विकास अधिकारी,

4. पंचायत समितियों के प्रसार अधिकारीगण यथा कृषि प्रसार अधिकारी, पशुपालन प्रसार अधिकारी, शिक्षा प्रसार अधिकारी, सहकारिता प्रसार अधिकारी, उद्योग प्रसार अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियंता इत्यादि तथा।
5. पंचायत समितियों के लेखा लिपिक होते है।

दूसरी ओर कनिष्ठ पदों के लिए जो पृथक सेवा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा निर्मित की गयी है उसके लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ नियम घोषित किये गये हैं। इन नियमों के अनुसार इस सेवा में कर्मचारीयों की संख्या प्रत्येक पंचायत समिति और प्रत्येक जिला परिषद् के लिए उतनी होगी जितनी अधिनियम के अन्तर्गत समय-समय पर निश्चित की जाये।

इस सेवा में 1994 के अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व निम्नाकिंत पद सम्मिलित थे :

1 ग्राम सेवक
2 ग्राम सेविकाएं
3 प्राथमिक पाठशाला अध्यापक
4 फील्ड मैन
5 स्टाक मैन
6 स्टाक सहायक
6 पशु चिकित्सा कम्पाउण्डर
8 कुक्कुट पालन प्रदर्शक
9 भेड़ तथा ऊन पर्यवेक्षक
10 ड्रेसर्स
11 टीका लगाने वाले
12 1. उच्च लिपिक (जिनमें लेखा लिपिक भी शामिल है)
2. लिपिक (जिनमें टाइपिस्ट भी शामिल है)
13. ड्राइवर
14. प्रोजेक्टर चालक
15. मेट (उद्योग)
16. ग्रुप पंचायत सचिव
17. कार्यालय सहायक
18. कृषि अनुदेशक

पूर्व प्रवर्तित राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा नियमों में यह स्पष्ट किया गया था कि इस सेवा के गठन के तत्काल पूर्व पंचायत समिति या जिला परिषद् की सेवा में नियुक्त सारे व्यक्ति इन नियमों के प्रावधानों के अधीन नवीन पदों पर नियुक्त समझें जावेंगे। यद्यपि उन्हें इस सेवा में बने या न बने रहने का 90 दिन में विकल्प देने का अवसर भी दिया गया था।

सन्दर्भ सूची :-

1. ए रिपोर्ट ऑफ हाईपावर कमेटी ऑन पंचायती राज, गिरधारीलाल व्यास) समुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर 1973 पृ. 56
2. सादिक अली प्रतिवेदन, पूर्वोक्त पृ. 174
3. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 78 (1)